न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/102/2014

उनवान

1. देवीलाल उर्फ देवा आत्मज मोडा जाट निवासी कोट, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स/वादीगण

बनाम

1. उदा आत्मज मोडा जाट निवासी कोट तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स /प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, रायपुर के प्रकरण संख्या 191/2010 निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 5.9.2012

अधिवक्तागण :-

1. श्री राकेश सुराणा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी 1 अनुपस्थित
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 16.10.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कोट तहसील रायपुर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात खाता संख्या 116 में अराजी संख्या 2285 रकबा 0.23 हे0, आराजी नम्बर 2289 रकबा 0.01 हे0 गै0मु0चाह, आराजी नम्बर 2290 रकबा 0.16 हे0, आराजी नम्बर 2291 रकबा 0.26 हे0, आराजी नम्बर 2292 रकबा 1.09 हे0, आराजी नम्बर 2293 रकबा 0.54 हे0, आराजी नम्बर 2294 रकबा 0.04 हे0, आराजी नम्बर 2295 रकबा 0.11 हे0, आराजी नम्बर 2365 रकबा 0.16 हे0, आराजी नम्बर 2366 रकबा 0.13 हे0, आराजी नम्बर 2367 रकबा 0.41 हे0, आराजी नम्बर 2483 रकबा 0.12 हे0, आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.17 हे0, आराजीह नम्बर 2485 रकबा 0.19 हे0, आराजी नम्बर 2488 रकबा 0.16 हे0, कुल किता 15 कुल रकबा 3.78 हे0 स्थित है। जिसमें से 1/2 हिस्सा वादी एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। खाता संख्या 117 में अंकित आराजी नम्बर 2486 रकबा 0.10 हे0, आराजी नम्बर 2487 रकबा 0.06 हे0, कुल किता 2 रकबा 0.16 हे0 में 1/4 हिसा वादी का तथा 3/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है।

2. उक्त आराजियात अविभाजित होकर संयुक्त कब्जेकाश्त में है जिसका विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है। भूमि को विकसित करने, लगान जमा कराने , ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में भारी अडचन पैदा होती रहती है। जिसे मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादी विभाजन करा अपना हिस्सा अलग से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। वादी के कोई औलाद, पत्नि नहीं है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 जबरदस्ती वादी की जमीन को हडपनाचाहता है और नाजायज तरीके से वह व उसके परिवार के सदस्य उसके उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करते हैं और धमकियॉ देते है कि मेरे पुत्रों में से

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किसी को गोद रख लो अन्यथा जमीन पर आराम से कमा नहीं खाने दूंगा और हाथ पैर तोड दूंगा । दिनांक 10.5.09 को प्रतिवाद संख्या 1 ने वादी को धमकी दी कि यदि ख्वोतों की तरफ गया तो हाथ पैर तोड देंगे। वादी ने जमीन का बंटवाडा कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 इंकार हो गया । अतः वादग्रस्त आराजी में से खाता संख्या 116 में अंकित आराजियात कुल किता 15 रकबा 3.78 में से आता चाह नम्बर 2289 को छोडते हुए मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादी को 1/2 हिस्से का तथा खाता संख्या 117 में अंकित आराजियात किता 2 कुल रकबा 0.16 के 1/4 हिस्से का विभाजन करा वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जेकाश्त में किसी प्रका की दखलन्दाजी नहीं करे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी अपीलार्थीगण को समय पर नहीं हो सकी । क्योंकि अपीलार्थी के बयान होने के बाद उनके अधिवक्ता ने कहा था कि जब भी आपकी जरूरत होगी तो सूचना कर बुलवा लूंगा, आपको हर पेशी पर आने की जरूरत नहीं है। इसलिए बयान होने के बाद अपीलार्थी पेशियों पर नहीं गया और अधिवक्ता ने भी निर्णय की सूचना नहीं दी । अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

तहसील कार्यालय में कार्य होने से दिनांक 18.6.2014 को गया तो वहाँ पर अधिवक्ता से सम्पर्क किया जिस पर उन्होनें बताया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 9.5.2012 को निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित हो चुकी है। अधिवक्ता ने अपीलार्थी को पत्र द्वारा सूचना देने की बात कही परन्तु अधिवक्ता ने अपीलार्थी को कोई सूचना पत्र द्वारा नहीं भिजवाई। जिस पर उसी दिन दिनांक 18.6.2014 को नकल हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 19.6.2014 को नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोडा जी के तीन पुत्रियाँ और है जो वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार हैं। जिन्हें वाद पत्र में पक्षकार बनाया जाना चाहिये। यह तथ्य अपीलार्थी/प्रतिवादी ने जवाब में एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित कराया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 पर आई साक्ष्य का सही विवेचन नहीं कर तनकी नम्बर 2 पर कोई स्पष्ट निर्णय दिये बिना ही वादी का वाद पत्र डिक्री करने में भारी भूल की है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय जमाबंदी में नामदर्ज होने व हिस्सा दर्ज होने के आधार पर करने मे भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार एवं काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद से ही किसी भी हिन्दु खातेदार की मृत्यु के बाद विरासत से नामान्तरकरण में पुत्रियों एवं पुत्रो का समान हक हिस्सा माना गया है और नामान्तरकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

में सभी का नाम दर्ज करना आवश्यक है परन्तु वादी/प्रत्यर्थी ने मोडा की पुत्रियों का नाम नामान्तरकरण से दर्ज नहीं करवाया और अपीलार्थी/प्रतिवादीएवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर नामान्तरकरण फैसल करवा लिया जो नामान्तरकरण सर्वथा विधि के विरूद्ध है। पुत्रियों का नाम जमाबंदी में अंकित नहीं होने से मोडा की पुत्रियों का हक अधिकार समाप्त नहीं होता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि मोडा की तीन पुत्रियॉ औ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मोडा की तीनों पुत्रियों कंकु, जमनी व सणगारी को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण में मोडा की पुत्रियों को आवश्यक पक्षकार संयोजित कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड की जावे।

9. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अपीलार्थी के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

10. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर मौजा कोट तहसील रायपुर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजियात खाता संख्या 116 में अराजी संख्या 2285 रकबा 0.23 हे0, आराजी नम्बर 2289 रकबा 0.23 हे0, आराजी नम्बर गैर मुमकिन चाह 2290 रकबा 0.16 हे0, आराजी नम्बर 2291 रकबा 0.26 हे0, आराजी नम्बर 2292 रकबा 1.09 हे0, आराजी नम्बर 2293 रकबा 0.54 हे0, आराजी नम्बर 2294 रकबा 0.04 हे0, आराजी नम्बर 2295 रकबा 0.11 हे0, आराजी नम्बर 2365 रकबा 0.16 हे0, आराजी नम्बर 2366 रकबा 0.13 हे0, आराजी नम्बर 2367 रकबा 0.41 हे0, आराजी नम्बर 2483 रकबा 0.12 हे0, आराजी नम्बर 2484 रकबा 0.17 हे0, आराजीह नम्बर 2485 रकबा 0.19 हे0, आराजी नम्बर 2488 रकबा 0.16 हे0, कुल किता 15 कुल रकबा 3.78 हे0 स्थित है। जिसमें से 1/2 हिस्सा वादी एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। खाता संख्या 117 में अंकित आराजी नम्बर 24886 रकबा 0.10 हे0, आराजी नम्बर 2487 रकबा 0.06 हे0, कुल किता 2 रकबा 0.16 हे0 में 1/4 हिसा वादी का तथा 3/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का होने का कथन किया एवं वादग्रस्त आराजी में से खाता संख्या 116 में अंकित आराजियात कुल किता 15 रकबा 3.78 में से आता चाह नम्बर 2289 को छोडते हुए मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादी को 1/2 हिस्से का तथा खाता संख्या 117 में अंकित आराजियात किता 2 कुल रकबा 0.16 के 1/4 हिस्से का विभाजन किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर मोडा जी के तीन पुत्रियॉं कंकु, जमनी व सणगारी भी होने का कथन किया तथा मोडा जी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

की तीनों पुत्रियों को वादी एवं प्रतिवादी के साथ पक्षकार संयोजित किये जाने का कथन किया ।

12. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में देवी लाल ने अपने बयानों में वादग्रस्त आराजी में स्वयं का 1/5 वॉ हिस्सा होने का कथन किया एवं यह भी कथन किया कि तीन बहिनें है जो ससुराल भी रहती और मेरे पास भी रहती है कभी एक माह रहती है कभी दस दिन मेरे पास रहती है। तीनों बहनों ने हिस्सा लेने के लिए दावा कर रखा है। मेरी बहनों का कब्जा हिस्सा अनुसार कब्जा है। उदाका पांचवे हिस्से पर कब्जा है। इसी प्रकार गवाह पारस आत्मज देवी लाल जाट ने भी कथन किया कि मेरी बुआएं जो जमीन भाग रही है वह किनके नाम पर है मुझे पता नहीं है। मेरी भुआ पॉचवा–पॉचवा हिस्सा भोग रही है। स्वयं वादी उदयराम ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि मेरे पिता का नाम मोडा जी है । हम दो भाई है। मै और देवी लाल, व तीन बहिनें हैं जिनका नाम सणगार, कंकू व जमना है। जिनका नाम खाते में नहीं है। यह जमीन मैंनें क्रय नहीं की है मेरे पिता की विरासत से आई है।

13. जब स्वयं वादी ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मोडा जी के दो पुत्र वादी उदयराम एवं प्रतिवादी देवी लाल तथा तीन पुत्रियॉ सणगारी, कंकू व जमना है । स्वयं वादी ने जिरह यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है मैनें क्रय नहीं की है। पिता की विरासत से आई है। तो ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण में उत्तराधिकारियों की जांच कर मोडा जी की तीनों पुत्रियों को पक्षकार संयोजित करने हेतु निर्देशित किये जाने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी के अलावा उनकी तीनों बहिनों के हिस्से का भी वाद में निस्तारण करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर तनकियात कायम कर निर्णय पारित किया जाना

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चाहिये था। चूंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्रों के समान पुत्रियों का भी बराबर हक अधिकार निहित माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

14. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 5.9.2012 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार संयोजित करने के उपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज, रेकार्ड का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर तनकीवाईज पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9.1.19 को उपस्थित रहें।

15. निर्णय आज दिनांक 16.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

16/10/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा